प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 बी.एन.एस.एस. 2023)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2025
   प्र0ई0रि0सं0............32......./2025 दिनांक 15-02-2025
   (I)धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, धारा 120 बी आईपीसी एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023
   (II) अधिनियम..धाराऐं ....
   (III) अधिनियम..धाराऐं..................................
   (IV)अन्य अधिनियम एवं धाराऐं...
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..........243..........समय....1:15 pm....
   (ब) अपराध घटने का दिन..........................दिनांक.......................समय.......
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक..............................समय.......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
   (ब) पता – ....
   ....बीट संख्या.............................जरायमदेही सं.
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.........
   पुलिस थाना...जिला..................................
5. परिवादी/सूचनाकर्ता :–सूत्र सूचना
   (अ) नाम –
   (ब) पिता/पति का नाम
   (स) जन्म तिथि/वर्ष...
   (द) राष्ट्रीयता...
   (य) पासपोर्ट संख्या.. जारी होने की तिथि..........
   जारी होने की जगह...
   (र) व्यवसाय...
   (ल) पता –
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
   1. श्री दीपक कुमार मित्तल पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार मित्तल निवासी 490ए बरकत नगर जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग विधुत खण्ड (द्वितीय) जोधपुर
   2. श्रीमती बबीता मित्तल पत्नी श्री दीपक कुमार मित्तल निवासी 490ए बरकत नगर जयपुर व अन्य।
7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. 'पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)...
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के सत्यापन से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार मित्तल निवासी 490ए बरकत नगर जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग विधुत खण्ड (द्वितीय) जोधपुर ने राजकीय सेवा में रहते हुए स्वयं व परिजनों के नाम वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित कर रखी है। सुचना का सत्यापन किया गया तो संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल (PAN NUMBER - ABYPM2557P) (Employee ID RJJP199617030578)पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार मित्तल जो मूल रूप से गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर का रहने वाला है व वर्तमान में 490ए बरकत नगर जयपुर में निवास कर रहा है व संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती बबीता मित्तल (PAN NUMBER - AIQPM1810L) से होना व श्रीमती बबीता मित्तल गृहणी होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी के एक बेटी प्रांजली अग्रवाल(PAN NUMBER - BWRPA2426A) व एक बेटा हार्दिक मित्तल (PAN NUMBER - FBCPM6239M) है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने बेटी प्रांजली अग्रवाल को जयपुर व अन्य शहरों के महंगे स्कूलों में पढाई करवाना तथा एमबीबीएस की पढाई जयपुर नेशनल यूर्निवसिटी जयपुर में करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्री की प्रारम्भिक शिक्षा, ट्यूशन व कोचिंग पर करीब 5,00,000/रूपये व उच्च शिक्षा पर जयपुर नेशनल यूर्निवसिटी जयपुर से एमबीबीएस की पढाई में प्राईवेट मैनेजमेंट सीट पर प्रति वर्ष 15,50,000/रूपये के हिसाब से 5 वर्ष की डिग्री पूर्ण करवाने में करीब 77,50,000/रूपये व एमबीबीएस पीजी की पढाई व अन्य खर्च के रूप में करीब 15,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री की शिक्षा पर करीब 97,50,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

गोपनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री को वर्ष 2016 में जयपुर नेशनल यूर्निवसिटी जयपुर में प्राईवेट मैनेजमेंट सीट पर एडमिशन करवाने हेतु जयपुर नेशनल यूर्निवसिटी जयपुर के प्रशासन को अत्यधिक मात्रा में धनराशि डोनेशन के रूप में दिये, उक्त तथ्य की पुष्टि दौराने अनुसंधान किया जाना उचित रहेगा।

संदिग्ध अधिकारी ने अपने बेटे हार्दिक मित्तल को जयपुर व अन्य शहरों के महंगे स्कूलों में पढाई करवाना तथा उच्च शिक्षा की पढाई गोरखपुर में करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्र की प्रारम्भिक शिक्षा, ट्यूशन व कोचिंग पर करीब 6,00,000/रूपये व गोरखपुर उत्तरप्रदेश से उच्च शिक्षा की पढाई में करीब 2,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्र की शिक्षा पर करीब 8,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी का भाई अंकुर मित्तल (PAN -AMZPM7846F) पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार मित्तल राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद मथुरा रोड बल्लबगढ, फरीदाबाद हरियाणा में नौकरी करता है तथा परिवार सहित मकान नम्बर 952, प्रथम तल, नजदीक सेक्टर 21 डी पुलिस चौकी, फरीदाबाद, हरियाणा निवास कर रहा है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी ने अपने भाई श्री अंकुर मित्तल के नामएक प्लॉट नम्बर आर. जी/102 कलडवास विस्तार ग्रीवा उदयपुर (रीको आवासीय योजना) क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर दिनांक 05.08.2022 को 11,29,771/रूपये में खरीद किया। उक्त भूखण्ड में मुख्त्यार आम संदिग्ध अधिकारी स्वयं है व उक्त भूखण्ड संदिग्ध अधिकारी की रीको में उदयपुर में पदस्थापन के दौरान खरीद किया गया है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उक्त भूखण्ड संदिग्ध अधिकारी की बेनामी परिसम्पत्ति है जो केवल मात्र स्वयं के नाम परिसम्पत्तियों को छुपाने के आश्य से अपने भाई अंकुर मित्तल के नाम खरीद की गई है तथा उक्त भूखण्ड को भविष्य में विक्रय करने संबंधित समस्त अधिकार जरिये मुख्त्यार आम संदिग्ध अधिकारी ने अपने पास सुरक्षित रखे हैं। इसके अलावा संदिग्ध अधिकारी द्वारा प्लॉट नम्बर जेड–32 व जेड–33(पूर्व भाग) सुमेर नगर सांगानेर जयपुर (संयुक्त नाप 222.22 वर्गगज)दिनांक 22.04.2021 को स्वयं के नाम 33,84,768/रूपये में क्रय किया गया। दिनांक 28.10.2021 को उक्त प्लॉट को स्वयं के भाई अंकुर मित्तल को 23,80,000/रूपये में विक्रय कर दिया। उक्त प्लॉट को क्रय करने के पश्चात विक्रय करने में संदिग्ध अधिकारी को 10,04,768/रूपये का नुकसान हुआ। संदिग्ध अधिकारी, संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के बैंक खातों के विश्लेषण से भी पाया गया है कि संदिग्ध अधिकारी के भाई अंकुर मित्तल के बैंक खातों में काफी मात्रा में धनराशि का अन्तरण हुआ है। सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी ने अपने भाई व भाई के परिजनों के नाम अन्य बहुमुल्य बेनामी परिसम्पत्तियों में भी निवेश किया है। उपरोक्त समस्त हालातों के मध्यनजर संदिग्ध अधिकारी के भाई अंकुर मित्तल के निवास स्थान मकान नम्बर 952 प्रथम तल नजदीक सेक्टर 21 डी पुलिस चौकी, फरीदाबाद हरियाणा की तलाशी ली जाती है, तो संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के परिवारजनों के नाम परिसम्पत्तियों/बहुमुल्य दस्तावेज, अन्य बेनामी परिसम्पत्तियों के दस्तावेज मिलने की सम्भावना है।

संदिग्ध अधिकारी का पुत्र हार्दिक मित्तल जो वर्तमान में अध्ययनरत है, के पीएनबी बैंक खाता संख्या 5874000100053182 में संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी पत्नी, पुत्री द्वारा विभिन्न दिनांको को (दिनांक 22.08.2022 से अब तक)करीब 20,48,000/रूपये जरिये केश/ऑनलाईन जमा करवाना ज्ञात हुआ है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि संदिग्ध अधिकारी के पुत्र हार्दिक मित्तल द्वारा दिनांक 22.06.2022 से उक्त बैंक खाते से प्रति माह 11,000 रूपये, 11000 रूपये , 10,000/रूपये के तीन म्यूचवल फण्ड अब तक कुल 8,71,000/रूपये जमा करवाना ज्ञात हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र के बैंक खाते के माध्यम से स्वयं द्वारा अर्जित अवैध राशि को म्यूचुअल फण्ड में निवेश करता है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र के नाम विभिन्न बैंको, प्राईवेट कम्पनियों में किये गये निवेश के संबंध में दौराने कार्यवाही दस्तावेज मिलने की सम्भावना है।

संदिग्ध अधिकारी की पुत्री प्रांजली अग्रवाल के एक्सीस बैंक खाता संख्या 916010056591663 में संदिग्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 08.08.2017 को 1,90,000/रूपये, दिनांक 09.05.2018 को 1,96,000/रूपये, दिनांक 05.11.2019 को 60,000/रूपये, दिनांक 09.03.2020 को 40,000/रूपये, दिनांक 18.05.2021 को 25,000/रूपये, दिनांक 05.06.2021 को 21,000/रूपये, दिनांक 23.11.2021 को 20,00,000/रूपये कुल 25,32,000/रूपये ऑनलाईन जमा करवाये गये तथा संदिग्ध अधिकारी की पुत्री के उपरोक्त बैंक खाते में दिनांक 11.11.2016 से अब तक विभिन्न दिनांको को 37,12,600/रूपये कैश जमा हुए। संदिग्ध अधिकारी की पुत्री के बैंक खाते में उपरोक्त कैश जमा राशि को संदिग्ध अधिकारी, संदिग्ध अधिकारी की पत्नी, संदिग्ध अधिकारी के पुत्र, संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्वयं द्वारा म्यूचवल फण्ड में निवेश व अन्य खर्च हेतु जमा करवाया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पुत्री के एक्सीस बैंक खाता संख्या 916010056591663 में संदिग्ध अधिकारी द्वारा व कैश/ऑनलाईन के रूप में कुल 62,44,600/रूपये प्राप्त हुए।

उपरोक्त बैंक खाते से संदिग्ध अधिकारी की पुत्री ने दिनांक 23.11.2021 को टाटा आर्बिटरेज फण्ड में 20,00,000/रूपये निवेश किया गया तथा दिनांक 15.02.2018 से अब तक कुल 18,97,118/रूपये विभिन्न म्यूचुअल फण्ड में निवेश किया गया। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पुत्री द्वारा विभिन्न म्यूचुअल फण्ड में 38,97,118/रूपये का निवेश किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

उपरोक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि संदिग्ध अधिकारी की पुत्री प्रांजली अग्रवाल के एक्सीस बैंक खाता संख्या 916010056591663 में संदिग्ध अधिकारी द्वारा व कैश/ऑनलाईन राशि कुल 62,44,600/रूपये जमा हुई तथा उक्त जमा राशि में से संदिग्ध अधिकारी की पुत्री ने विभिन्न म्यूचवल फण्ड में 38,97,118/रूपये का निवेश किया तथा 62,44,600/रूपये में से 38,97,118 को कम करने पर 23,47,482/रूपये अन्य कार्यों में खर्च किये गये।

यहां यह उल्लेखनीय है कि संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के परिवारजनों के बैंक खातों के विश्लेषण से लाखों रूपये लेनदेन व म्यूचुअल फण्ड में निवेश करना प्रकट हुआ है। अतः संदिग्ध अधिकारी के ठिकानों की तलाशी के दौरान संदिग्ध अधिकारी के बैंक लेनदेन संबंधित बहुमुल्य दस्तावेज व म्यूचुअल फण्ड निवेश संबंधित दस्तावेज मिलने की सम्भावना है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम पीएनबी बैंक शाखा 947ए किसान मार्क मुख्य, बरकत नगर जयपुर आईएफएससी कोड पीयूएनबी0587400 में वर्ष 2016 से लॉकर होना ज्ञात हुआ है। उक्त लॉकर की तलाशी में संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम बेनामी परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, ज्वैलरी, नकदी व अन्य बहुमुल्य दस्तावेज रखने की सुचना सूत्रों से प्राप्त हुई है।

विभागीय नियमों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अपने निकटतम परिवारजनों यथा पत्नी, माता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से कोई परिसम्पति क्रय करता है तो उसकी सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को देनी होती है तथा राज्य के समस्त राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी चल अचल सम्पति का विवरण ऑनलाईन राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपलॉड करना होता है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र हार्दिक मित्तल, पुत्री प्रांजली मित्तल व अन्य परिवारजनों के नाम 9 परिसम्पत्तियां उदयपुर, जयपुर व अन्य स्थानों पर क्रय किया जाना ज्ञात हुआ है। उक्त परिसम्पत्तियों का विवरण संदिग्ध अधिकारी ने अपनी आईपीआर में दर्शित नहीं कर रखा है। संदिग्ध

अधिकारी द्वारा आचरण नियमों के विरूद्ध ऐसा कार्य किया जा रहा है। उक्त कृत्य संदिग्ध अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित धन का दुरूपयोग का सटीक उदाहरण है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि संदिग्ध अधिकारी की उदयपुर में रीको में पदस्थापन के दौरान खरीद किया जाना व उक्त समस्त परिसम्पत्तियां राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लि0 की योजनाओं में संदिग्ध अधिकारी द्वारा ग्राम कलडवास विस्तार ग्रीवा उदयपुर (रीको आवासीय योजना) में स्वयं की पत्नी बबीता मित्तल के नाम कुल **एक** प्लॉट नम्बर आरसी 566, स्वयं के पुत्र हार्दिक मित्तल के नाम कुल **पांच** प्लॉट नम्बर आरई–819, आ.एच./1–1140, आर.डी./1–1451, आर. ई/3–333, आर.एफ./02, स्वयं की पुत्री प्रांजली अग्रवाल के नाम कुल **दो** प्लॉट नम्बर आर.एच./1–739, आर.जी/2–799 व स्वयं के भाई अंकुर मित्तल के नाम कुल **एक** प्लॉट प्लॉट नम्बर आर.जी./102 खरीद आदि परिसम्पत्तियां खरीद गई हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि संदिग्ध अधिकारी ने अपने पदीय हैसियत का प्रभाव दिखाते हुए उक्त परिसम्पत्तियों को कम दर पर खरीद की गई हैं। कार्यालय राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (RIICO), मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, रोड नम्बर 2 उदयपुर का कलडवास विस्तार आवासीय योजना,उदयपुर से संबंधित रिकॉर्ड कक्ष की तलाशी में उपरोक्त प्लॉटो की खरीद संबंधित दस्तावेज व संदिग्ध अधिकारी से संबंधित अन्य दस्तावेज मिलने की सम्भावना है।

संदिग्ध अधिकारी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1996 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर हुई थी। समय–समय पर विभागीय पदोन्नति होने के पश्चात वर्तमान में संदिग्ध अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिशाषी अभियन्ता विधुत खण्ड (द्वितीय) जोधपुर के पद पर कार्यरत है। संदिग्ध अधिकारी का पदस्थापन पूर्व में अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर आदि स्थानों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, रीको में प्रतिनियुक्ति, आरएसआरडीसी में प्रतिनियुक्ति, स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी की आम छवि भ्रष्ट अधिकारी की होना जानकारी में आया है। संदिग्ध अधिकारी की राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना तथा नियुक्ति के पश्चात अचानक रहन सहन का स्तर आय के वैध ज्ञात स्त्रोतो से उच्च स्तर का होना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल द्वारा राजकीय सेवा में आने के बाद स्वयं एवं स्वयं के परिजनो के नाम से अर्जित परिसम्पत्तियों का गोपनीय रूप से विभिन्न राजकीय उपक्रमों/सोसायटी एवं बैंक आदि से जानकारी की जाकर सत्यापन किया गया है।

गोपनीय सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल व एसओ के परिवारजनों के नाम विभिन्न परिसम्पतियॉ मे निवेश/खरीद करना सत्यापन से ज्ञात हुआ है, संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों, आय एवं व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र "अ" "ब""स""द" निम्नानुसार है :–

परिशिष्ट "अ"

संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार मित्तल, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, विधुत खण्ड (द्वितीय) जोधपुर की चैक पिरियड सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां:–

क्रं सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	शून्य	शून्य

परिशिष्ट "ब"

संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार मित्तल, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, विधुत खण्ड (द्वितीय) जोधपुर की चैक पिरियड वर्ष 1996 से खाना तलाशी की दिनांक तक में अर्जित परिसम्पत्तियां:–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम एक मकान 490ए बरकत नगर जयपुर(क्षेत्रफल 150 वर्गगज) दिनांक 13.10.2006 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त मकान की रजिस्ट्री व अन्य खर्च के रूप में 7,51,490/रूपये व्यय करने का अनुमान है। सुत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी ने उक्त मकान की खरीद किये जाने के वक्त उक्त प्लॉट पर दो कमरे, रसोई, स्टोर, लेटबाथ बना था व उक्त समस्त निर्माण पर छत पट्टी भाटा की थी, यह विवरण विक्रय पर में मौजुद है, उक्त प्लॉट खरीद किये जाने के उपरान्त संदिग्ध अधिकारी ने समस्त निर्माण को हटावा दिया, जिस पर 5,00,000/रूपये व्यय होने का अनुमान है। मकान निर्माण हटवाने के पश्चात संदिग्ध अधिकारी ने उक्त प्लॉट पर दो मंजिल भवन का निर्माण करवाया जिस पर करीब 52,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त मकान को खरीद करने, निर्मित मकान को हटवाने, मकान निर्माण करवाने में 64,51,490/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	64,51,490/रूपये
2.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं की पत्नी के नाम एक प्लॉट नम्बर 59 सुमेर नगर–प्रथम पृथवीराज नगर जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज दिनांक 14.06.2012 को 7,75,100/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट को संदिग्ध अधिकारी ने दिनांक 14.05.2015 को जेडीए से पट्टा लिया जिस पर 1,83,250/रूपये व्यय होने का अनुमान है। दिनांक 22.01.2024 को उक्त प्लॉट का संदिग्ध अधिकारी ने जेडीए जयपुर से फ्री होल्ड पट्टा लिया जिस पर 800/रूपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त प्लॉट को खरीद करने, जेडीए से पट्टा लेने व जेडीए से फ्री होल्ड पट्टा लेने में करीब 9,59,150/रूपये व्यय होने का अनुमान है।	9,59,150/रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं की पत्नी के नाम एक प्लॉट नम्बर 573 सुमेर नगर–प्रथम पृथवीराज नगर जयपुर क्षेत्रफल 266 वर्गगज दिनांक 17.08.2011 को 8,65,500/रूपये (खरीद कीमत व पंजीयन शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट को संदिग्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 17.08.2015 को जेडीए से 244.44 वर्गगज पट्टा लिया जिस पर 2,27,465/रूपये व्यय होने का अनुमान है। दिनांक 31.01.2024 को उक्त प्लॉट का संदिग्ध अधिकारी ने जेडीए जयपुर से फ्री होल्ड पट्टा लिया जिस पर 800/रूपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त प्लॉट को खरीद करने, जेडीए से पट्टा लेने व जेडीए से फ्री होल्ड पट्टा लेने में करीब 10,93,765/रूपये व्यय होने का अनुमान है।	10,93,765/रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र हार्दिक मित्तल के नाम एक प्लॉट ई–502, नारायण सरोवर योजना, ग्राम सुखिया	12,29,440/रूपये

	तह0 सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज दिनांक 28.03.2024 को 12,29,440 / रूपये (खरीद कीमत व पंजीयन शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	
5	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं की पत्नी के नाम एक प्लॉट नम्बर सी–4 सांई वाटिका कायड अजमेर क्षेत्रफल 200 वर्गगज दिनांक 26.10.2015 को 2,95,560 / रूपये (खरीद कीमत व पंजीयन शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	2,95,560 / रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं की पत्नी बबीता के नाम एक प्लॉट नम्बर सी–5 सांई वाटिका कायड अजमेर क्षेत्रफल 200 वर्गगज दिनांक 26.10.2015 को 2,95,560 / रूपये (खरीद कीमत व पंजीयन शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	2,95,560 / रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम एक प्लॉट नम्बर 23 सांई नाथ विहार ब्यावर अजमेर दिनांक 09.02.2015 को 50,000 / रूपये (खरीद कीमत व पंजीयन शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	50,000 / रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं की पत्नी के नाम एक प्लॉट नम्बर आरसी 566, ग्राम कलडवास विस्तार ग्रीवा उदयपुर (रीको आवासीय योजना) दिनांक 10.06.2022 को 32,75,925 / रूपये (खरीद कीमत व पंजीयन शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	32,75,925 / रूपये
9	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र हार्दिक मित्तल के नाम एक प्लॉट नम्बर आरई–819 कलडवास विस्तार ग्रीवा उदयपुर (रीको आवासीय योजना) क्षेत्रफल 375 वर्गमीटर दिनांक 18.01.2023 को 22,31,000 / रूपये (खरीद कीमत व पंजीयन शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	22.31,000 / रूपये
10	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र हार्दिक मित्तल के नाम एक प्लॉट नम्बर आ.एच. / 1–1140 कलडवास विस्तार ग्रीवा उदयपुर (रीको आवासीय योजना) क्षेत्रफल 69 वर्गमीटर दिनांक 16.02.2023 को 5,24,875 / रूपये (खरीद कीमत व पंजीयन शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	5,24,875 / रूपये
11	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र हार्दिक मित्तल के नाम एक प्लॉट नम्बर आर. डी. / 1–1451 कलडवास विस्तार ग्रीवा उदयपुर (रीको आवासीय योजना) क्षेत्रफल 408 वर्गमीटर दिनांक 26.06.2023 को 31,07,328 / रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	31,07,328 / रूपये
12	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्री प्रांजली अग्रवाल के नाम एक प्लॉट नम्बर आर.एच. / 1–739 कलडवास विस्तार ग्रीवा उदयपुर (रीको आवासीय योजना) क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर दिनांक 06.06.2022 को 5,45,025 / रूपये (खरीद कीमत व पंजीयन शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	5,45,025 / रूपये

13	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्री प्रांजली अग्रवाल के नाम एक प्लॉट नम्बर आर.जी/2–799 कलडवास विस्तार ग्रीवा उदयपुर (रीको आवासीय योजना) क्षेत्रफल 118 वर्गमीटर दिनांक 06.06.2022 को 8,92,250/रूपये (खरीद कीमत व पंजीयन शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	8,92,250/रूपये
14	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र हार्दिक मित्तल के नाम एक प्लॉट नम्बर आर. ई/3–333 कलडवास विस्तार ग्रीवा उदयपुर (रीको आवासीय योजना) क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर दिनांक 01.08.2022 को 21,84,800/रूपये (खरीद कीमत व पंजीयन शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	21,84,800/रूपये
15	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के पुत्र हार्दिक मित्तल के नाम एक प्लॉट नम्बर आर. एफ./02 कलडवास विस्तार ग्रीवा उदयपुर (रीको आवासीय योजना) क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर दिनांक 05.08.2022 को 17,04,000/रूपये (खरीद कीमत व पंजीयन शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	17,04,000/रूपये
16	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के भाई अंकुर मित्तल के नाम एक प्लॉट नम्बर आर. जी/102 कलडवास विस्तार ग्रीवा उदयपुर (रीको आवासीय योजना) क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर दिनांक 05.08.2022 को 11,29,771/रूपये (खरीद कीमत व पंजीयन शुल्क) में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त भूखण्ड में मुख्त्यार आम संदिग्ध अधिकारी के नाम है व उक्त भूखण्ड संदिग्ध अधिकारी की रीको में उदयपुर में पदस्थापन के दौरान खरीद किया गया है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उक्त भूखण्ड संदिग्ध अधिकारी की बेनामी परिसम्पत्ति है जो केवल मात्र स्वयं के नाम परिसम्पत्तियों को छुपाने के आश्य से अपने भाई अंकुर मित्तल के नाम खरीद की गई है तथा उक्त भूखण्ड को भविष्य में विक्रय करने संबंधित समस्त अधिकारी जरिये मुख्त्यार आम संदिग्ध अधिकारी ने अपने पास सुरक्षित रखे हैं।	11,29,771/रूपये
17	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम एक चौपहिया वाहन हुण्डई वर्ना नम्बर आरजे 14 क्यूसी 4605 वर्ष 2017 में खरीद करना ज्ञात हुआ है, उक्त वाहन को 10,00,000/रूपये अनुमानित व्यय कर खरीद करना ज्ञात हुआ है।	10,00,000/रूपये
18	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं की पुत्री प्रांजली अग्रवाल के नाम एक चौपहिया वाहन निसान डैटसन रेडी गो नम्बर आरजे 29 सीबी 0545 वर्ष 2018 में खरीद करना ज्ञात हुआ है, उक्त वाहन को 4,00,000/रूपये अनुमानित व्यय कर खरीद करना ज्ञात हुआ है।	4,00,000/रूपये
19	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम एक दूपहिया वाहन हिरो होण्डा पेसन प्लस नम्बर आरजे 14 क्यूएस 5708 वर्ष 2009 में खरीद करना ज्ञात हुआ है, उक्त वाहन को 50,000/रूपये अनुमानित व्यय कर खरीद करना ज्ञात हुआ है।	50,000/रूपये

20	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं की पुत्री प्रांजली अग्रवाल के नाम एक दूपहिया वाहन होण्डा एक्टीवा नम्बर आरजे 14 जेएन 8298 खरीद करना ज्ञात हुआ है, उक्त वाहन को 80,000/रूपये अनुमानित व्यय कर खरीद करना ज्ञात हुआ है।	80,000/रूपये
21	संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम पीएनबी बैंक में संयुक्त बैंक खाता संख्या 4064000100107104 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 55,594/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	55,594/रूपये
22	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री प्रांजली अग्रवाल के नाम पीएनबी बैंक में खाता संख्या 4064000100150382 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 29,196/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	29,196/रूपये
23	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र हार्दिक मित्तल के नाम पीएनबी बैंक में खाता संख्या 5874000100053182 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 3,47,926/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	3,47,926/रूपये
24	संदिग्ध अधिकारी के नाम आईसीआईसीआई बैंक में खाता संख्या 675001437257 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 1,86,153/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	1,86,153/रूपये
25	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री प्रांजली अग्रवाल के नाम यूनियन बैंक में खाता संख्या 772202010005843 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 3,632/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	3,632/रूपये
26	संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एचडीएफसी बैंक में संयुक्त बैंक खाता संख्या 50100334759544 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 25,918/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	25,918/रूपये
27	संदिग्ध अधिकारी के नाम बैंक ऑफ बडौदा बैंक में खाता संख्या 21600100013374 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 4,65,423/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	4,65,423/रूपये
28	संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एक्सीस बैंक में संयुक्त बैंक खाता संख्या 917010045356645 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 1,84,728/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	1,84,728/रूपये
29	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एक्सीस बैंक में खाता संख्या 918040072204621 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 2,21,412/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	2,21,412/रूपये
30	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एक्सीस बैंक में खाता संख्या 918040072204896 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 2,21,409/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित	2,21,409/रूपये

	है।	
31	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री प्रांजली अग्रवाल के नाम एक्सीस बैंक में खाता संख्या 916010056591663 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 6,01,658/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	6,01,658/रूपये
32	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री प्रांजली अग्रवाल के नाम एक्सीस बैंक में खाता संख्या 919040005490463 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 1,84,715/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	1,84,715/रूपये
33	संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एसबीआई बैंक में संयुक्त बैंक खाता संख्या 30813566446 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 1,99,267/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	1,99,267/रूपये
34	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 61008759330 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 1,77,985/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	1,77,985/रूपये
35	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री प्रांजली अग्रवाल के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 38537289013 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 30,542/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	30,542/रूपये
36	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एसबीआई बैंक में पीपीएफ खाता संख्या 38490075984 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 4,34,677/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	4,34,677/रूपये
37	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में पीपीएफ खाता संख्या 35617432104 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 4,07,452/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	4,07,452/रूपये
38	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री प्रांजली अग्रवाल के नाम एसबीआई बैंक में पीपीएफ खाता संख्या 38537619190 होना ज्ञात हुआ है उक्त बैंक खाते में वर्तमान में 7,04,557/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है।	7,04,557/रूपये
39	सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा मोबाईल फोन Apple Inc Apple iPhone SE A1723 Apple iPhoneSE आईएमईआई नम्बर 359203074700970 किमत अनुमानित 50,000/रूपये, OnePlus Technology Shenzhen Co Ltd EB2101 OnePlus NordCE5G आईएमईआई नम्बर 869768053444650, 869768053444640 किमत अनुमानित 23,000/रूपये, संदिग्ध अधिकारी के पुत्र हार्दिक मित्तल द्वारा मोबाईल फोन OnePlus Technology Shenzhen Co Ltd CPH2401 OnePlus CPH24015G आईएमआईआई नम्बर 860859062265770 किमत अनुमानित 34,000/रूपये, संदिग्ध अधिकारी की पुत्री प्रांजली अग्रवाल द्वारा मोबाईल फोन Samsung SM-T385 आईएमआईआई	1,55,000/रूपये

	नम्बर 358525998319220 किमत अनुमानित 18,000/रूपये, संदिग्ध अधिकारी की पत्नी बबीता मित्तल द्वारा मोबाईल फोन OnePlus Technology Shenzhen Co Ltd DN2101 OnePlus Nord25G आईएमआईआई नम्बर 865185050461290 किमत अनुमानित 30,000/रूपये काम में लिये जा रहे हैं। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के परिवार जनों द्वारा उपरोक्तानुसार कुल 5 मोबाईल फोन किमत अनुमानित 1,55,000/रूपये काम में लिये जा रहे हैं।	
योग		3,21,37,183/रूपये

परिशिष्ट "स"

संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार मित्तल, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, विधुत खण्ड (द्वितीय) जोधपुर की चैक पिरियड वर्ष 1996 से खाना तलाशी की दिनांक तक प्राप्त आयः–

क्र सं.	चैक अवधि में अर्जित आय का विवरण	आय
1.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा वर्ष 2016 से अब तक अपनी आयकर विवरणिका में आयकर कटौती के पश्चात् 88,61,422/रूपये शुद्व वेतन के रूप में प्राप्त करने का अनुमान है व वर्ष 1996 से वर्ष 2015 तक संदिग्ध अधिकारी द्वारा 37,43,377/रूपये शुद्व वेतन प्राप्त करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में 1,26,04,799/रूपये शुद्व वेतन के रूप में प्राप्त करने का अनुमान है।	1,26,04,799 /रूपये
2.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती बबीता मित्तल ने वर्ष 2016 से 2025 तक आयकर विवरणिका में 26,32,475/रूपये आय दर्शा रखी है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पत्नी की चैक पिरियड में 26,32,475/रूपये आय होने का अनुमान है।	26,32,475/ रूपये
3.	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री प्रांजली अग्रवाल ने वर्ष 2016 से 2025 तक आयकर विवरणिका में 34,45,400/रूपये आय दर्शा रखी है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पुत्री की चैक पिरियड में 34,45,400/रूपये आय होने का अनुमान है।	34,45,400/ रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र हार्दिक मित्तल ने वर्ष 2023 से 2025 तक आयकर विवरणिका में 10,34,669/रूपये आय दर्शा रखी है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी के पुत्र की चैक पिरियड में 10,34,669/रूपये आय होने का अनुमान है।	10,34,669/ रूपये
योग		1,97,17,343

परिशिष्ट "द"

संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार मित्तल, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग विधुत खण्ड (द्वितीय) जोधपुर की चैक पिरियड वर्ष 1996 से खाना तलाशी की दिनांक तक किया गया व्ययः–

क्र सं.	चैक अवधि में किये गये व्यय का विवरण	व्यय राशि
1	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में अर्जित कुल आय 1,62,29,218 का एक तिहाई भाग नियमानुसार 54,09,739 / रूपये असत्यापनिक व्यय करने का अनुमान है।	54,09,739 / रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी ने अपने बेटी प्रांजली अग्रवाल को जयपुर व अन्य शहरों के महंगे स्कूलों में पढाई करवाना तथा एमबीबीएस की पढाई जयपुर नेशनल यूर्निवसिटी जयपुर में करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्री की प्रारम्भिक शिक्षा, टयूशन व कोचिंग पर करीब 5,00,000 / रूपये व उच्च शिक्षा पर जयपुर नेशनल यूर्निवसिटी जयपुर से एमबीबीएस की पढाई में प्राईवेट मैनेजमेंट शीट पर प्रति वर्ष 15,50,000 / रूपये के हिसाब से 5 वर्ष की डिग्री पूर्ण करवाने में करीब 77,50,000 / रूपये व एमबीबीएस पीजी की पढाई व अन्य खर्च के रूप में करीब 15,00,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री की शिक्षा पर करीब **97,50,000 / रूपये** व्यय करने का अनुमान है।	97,50,000 / रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी ने अपने बेटे हार्दिक मित्तल को जयपुर व अन्य शहरों के महंगे स्कूलों में पढाई करवाना तथा उच्च शिक्षा की पढाई गोरखपुर में करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्र की प्रारम्भिक शिक्षा, ट्यूशन व कोचिंग पर करीब 6,00,000 / रूपये व गोरखपुर उत्तरप्रदेश से उच्च शिक्षा की पढाई में करीब 2,00,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्र की शिक्षा पर करीब 8,00,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है।	8,00,000 / रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के नाम प्लॉट नम्ब्र सी 203 हिरणमगरी उदयपुर क्षेत्रफल 2346 वर्गफुट को दिनांक 04.12. 2015 को क्रय किया, दिनांक 16.11.2022 को उक्त प्लॉट विक्रय कर दिया। आयकर विवरणिका वर्ष 2022 के अनुसार उक्त प्लॉट को क्रय करने के पश्चात विक्रय करने में 14,42,493 / रूपये का नुकसान हुआ, जो संदिग्ध अधिकारी द्वारा व्यय के रूप में वहन किया गया।	14,42,493 / रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी द्वारा प्लॉट नम्बर जेड–32–33(पूर्व भाग) सुमेर नगर सांगानेर जयपुर दिनांक 19.04.2021 को स्वयं के नाम 33,84,768 / रूपये में क्रय किया गया। दिनांक 28.10.2021 को उक्त प्लॉट को स्वयं के भाई अंकुर मित्तल को 23,80,000 / रूपये में विक्रय कर दिया। इस प्रकार उक्त प्लॉट को क्रय करने के पश्चात विक्रय करने में संदिग्ध अधिकारी को 10,04,768 / रूपये का नुकसान हुआ, जो संदिग्ध अधिकारी द्वारा व्यय के रूप में वहन किया गया।	10,04,768 / रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी आयकर विवरणिका वर्ष 2015–16, 2016–17, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 में कृष्णा चेरिटेबल ट्रस्ट नीमकाथाना सीकर को क्रमशः 1,20,000 / रूपये, 1,00,000 / रूपये, 1,20,000 / रूपये, 1,20,000 / रूपये,	8,10,000 / रूपये

	1,80,000/रूपये, 1,70,000/रूपये कुल 8,10,000/रूपये डोनेट करना ज्ञात हुआ है।	
7	संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम पीएनबी बैंक शाखा 947ए किसान मार्क मुख्य, बरकत नगर जयपुर आईएफएससी कोड पीयूएनबी0587400 में वर्ष 2016 से लॉकर होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक लॉकर का वर्ष 2016 से अब तक करीब 32,881/रूपये किराया राशि चुकता करना अनुमानित है।	32,881/रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र हार्दिक मित्तल के पीएनबी बैंक खाता संख्या 5874000100053182 में संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी पत्नी, पुत्री द्वारा विभिन्न दिनांको को करीब 20,48,000/रूपये जमा करवाना ज्ञात हुआ है। चुंकि संदिग्ध अधिकारी के पुत्र के बैंक खाते में वर्तमान में शेष बैलेन्स 3,47,926/रूपये होना अनुमानित है। अतः जमा राशि 20,48,000/रूपये में से शेष बैलेन्स राशि 3,47,926/रूपये को कम करने पर 17,00,074/रूपये संदिग्ध अधिकारी द्वारा किये गये व्यय माना जावेगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि संदिग्ध अधिकारी के पुत्र हार्दिक मित्तल द्वारा दिनांक 22.06.2022 से उक्त बैंक खाते से प्रति माह 11,000 रूपये, 11000 रूपये , 10,000/रूपये के तीन म्यूचवल फण्ड अब तक कुल 8,71,000/रूपये जमा करवाना ज्ञात हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र के बैंक खाते के माध्यम से स्वयं द्वारा अर्जित अवैध राशि को म्यूचवल फण्ड में निवेश करता है।	17,00,074/रूपये
9	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री प्रांजली अग्रवाल के एक्सीस बैंक खाता संख्या 916010056591663 में संदिग्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 08.08.2017 को 1,90,000/रूपये, दिनांक 09.05.2018 को 1,96,000/रूपये, दिनांक 05.11.2019 को 60,000/रूपये, दिनांक 09.03.2020 को 40,000/रूपये, दिनांक 18.05.2021 को 25,000/रूपये, दिनांक 05.06.2021 को 21,000/रूपये, दिनांक 23.11.2021 को 20,00,000/रूपये कुल 25,32,000/रूपये जमा करवाये गये। तथा संदिग्ध अधिकारी की पुत्री के उपरोक्त बैंक खाते में दिनांक 11.11.2016 से अब तक विभिन्न दिनांको को 37,12,600/रूपये कैश जमा हुए। संदिग्ध अधिकारी की पुत्री के बैंक खाते में उपरोक्त कैश जमा राशि को संदिग्ध अधिकारी, संदिग्ध अधिकारी की पत्नी, संदिग्ध अधिकारी के पुत्र, संदिग्ध अधिकारी की पुत्री स्वयं द्वारा म्यूचवल फण्ड में निवेश व अन्य खर्च हेतु जमा करवाया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पुत्री के एक्सीस बैंक खाता संख्या 916010056591663 में संदिग्ध अधिकारी द्वारा व कैश जमा के रूप में कुल 62,44,600/रूपये प्राप्त हुए। उपरोक्त बैंक खाते से संदिग्ध अधिकारी की पुत्री ने दिनांक 23.11.2021 को टाटा आर्बिटरेज फण्ड में 20,00,000/रूपये	62,44,600/रूपये

	निवेश किया गया तथा दिनांक 15.02.2018 से अब तक कुल 18,97,118 / रूपये विभिन्न म्यूचवल फण्ड में निवेश किया गया। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पुत्री द्वारा विभिन्न म्यूचवल फण्ड में 38,97,118 / रूपये का निवेश किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उपरोक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि संदिग्ध अधिकारी की पुत्री प्रांजली अग्रवाल के एक्सीस बैंक खाता संख्या 916010056591663 में संदिग्ध अधिकारी द्वारा व कैश राशि कुल 62,44,600 / रूपये जमा हुई तथा उक्त जमा राशि में से संदिग्ध अधिकारी की पुत्री ने विभिन्न म्यूचवल फण्ड में 38,97,118 / रूपये का निवेश किया तथा 62,44,600 / रूपये में से 38,97,118 को कम करने पर 23,47,482 / रूपये अन्य कार्यों में खर्च किये गये। इस प्रकार समस्त विवेचन से 62,44,600 / रूपये राशि को संदिग्ध अधिकारी की व्यय राशि में माना जावेगा।	
10	संदिग्ध अधिकारी व उसके परिजनों द्वारा चैक पिरियड में उपयोग में लिये गये वाहनों के रखरखाव, ईंधन, मेन्टेनेन्स, बिमा आदि पर अनुमानित व्यय 6,00,000 / रूपये	6,00,000 / रूपये
योग		2,77,94,555 / रूपये

संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1996 से पहले अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट ''अ'' मे दर्शाया गया है, जो शून्य है।

संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1996 से खाना तलाशी की दिनांक तक अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट ''ब'' मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व परिजनों के नाम अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मुल्य 3,21,37,183 / रूपये अनुमानति है।

संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1996 से खाना तलाशी की दिनांक तक अर्जित आय का उल्लेख परिशिष्ट ''स'' मे दर्शाया गया है। प्रपत्र ''स'' के अनुसार संदिग्ध अधिकारी व उसके परिवारजनों की ज्ञात श्रोतों से कुल वैध आय 1,97,17,343 / रूपये का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1996 से खाना तलाशी की दिनांक तक किये गये व्यय का उल्लेख परिशिष्ट ''द'' मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार कुल 2,77,94,555 / रूपये व्यय करने का अनुमान है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल व उसके परिवार जनों की चैक पिरियड वर्ष 1996 से खाना तलाशी की दिनांक तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आय 1,97,17,343 / रूपये होकर, अर्जित सम्पति का मूल्य 3,21,37,183 / रूपये एवं व्यय राशि 2,77,94,555 / रूपये पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 5,99,31,738 / रूपये में से उपरोक्त आय 1,97,17,343 / रूपये को घटाने पर 4,02,14,395 / रूपये की परिसम्पतियां वैध आय के ज्ञात श्रोत से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो आय से लगभग 203.95 प्रतिशत अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी से संबंधित निम्न ठिकानों **(1) संदिग्ध अधिकारी का निवास स्थान मकान नम्बर 490ए बरकत नगर, जयपुर (2) संदिग्ध अधिकारी के भाई अंकुर मित्तल का निवास स्थान मकान नम्बर 952 प्रथम तल नजदीक सेक्टर 21 डी पुलिस चौकी, फरीदाबाद**

हरियाणा (3) कार्यालय राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (RIICO), मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, रोड नम्बर 2 उदयपुर का कलडवास विस्तार आवासीय योजना,उदयपुर से संबंधित रिकॉर्ड का कक्ष (4) संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग विधुत खण्ड द्वितीय जोधपुर व अन्य की यदि तलाशी ली जाती है तो कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण, शेयर बाजार में निवेश से संबंधित दस्तावेज, म्यूचुअल फण्ड में निवेश से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज मिलने की सम्भावना है।

अतः संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार मित्तल पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार मित्तल, निवासी 490ए बरकत नगर, जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (विधुत) खण्ड द्वितीय जोधपुर एवं श्रीमती बबीता मित्तल पत्नी श्री दीपक कुमार मित्तल निवासी 490ए बरकत नगर, जयपुर व अन्य के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने एवं अर्जित करने में सहयोग करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। आरोपीगणों का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(सरोज धायल)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
इन्टे0 जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सरोज धायल पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे0 जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त श्री दीपक कुमार मित्तल पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार मित्तल, निवासी 490ए बरकत नगर, जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (विधुत) खण्ड द्वितीय जोधपुर एवं श्रीमती बबीता मित्तल पत्नी श्री दीपक कुमार मित्तल निवासी 490ए बरकत नगर, जयपुर व अन्य के विरूद्ध अपराध संख्या 32/2025 दिनांक 15.02.2025 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर–द्वितीय जयपुर के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

-sd-
(राहुल कोटोकी)
उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :– 158-162 दिनांक :– 15-02-2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात,क्रम संख्या–1 जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राज0 जयपुर
4. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर–द्वितीय जयपुर ।

15/02/25
(राहुल कोटोकी)
उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर